प्रेस विज्ञप्ति

28 अगस्त, 2016

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज निम्नलिखित बयान जारी किया :–

हरियाणा के युवाओं को रोजगार व रोटी का भयंकर संकट

खट्टर सरकार ने युवा पीढ़ी को बेरोजगारी की गर्त में धकेला

''भाजपा की निकम्मी व नाकारा सरकार ने प्रदेश की युवा पीढ़ी को बेरोजगारी और नशे की गर्त में धकेल कर रख दिया है। प्रदेश में रोजगार और रोटी का भयावह संकट है और युवाओं के इनके अभाव में पथभ्रष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। प्रदेश में सत्ता संभालने के 22 महीने बाद भी खट्टर सरकार, सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मुहैया कराने की बजाए, रोजगार छीनने के काम में जुटी है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

खट्टर सरकार के युवा व रोजगार विरोधी कारनामों के कुछ उदाहरण :–

1. **नियुक्ति मापदंडों, तरीकों व नियमों की धज्जियां उड़ा, श्री धम्मापाल चौहान की HARTRON के एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति।**

   मुख्यमंत्री, श्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 मार्च, 2016 को लिखित आदेश जारी कर निर्देश दिया कि हैदराबाद के श्री धम्मापाल चौहान को हरियाणा सरकार की कंपनी HARTRON में एक नया पद सृजन कर एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया जाए। मुख्यमंत्री के आदेशों की कॉपी A1 संलग्न है। इसके बाद पूरे मामले पर पर्दा डालने की मंशा से HARTRON द्वारा एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर के पद को भरने का विज्ञापन जारी किया गया। आश्चर्य की बात यह है कि विज्ञापन में एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए दरख्वास्त देने की कोई आखिरी तारीख नहीं रखी गई।

   एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर के इस पद की तनख्वाह शायद हरियाणा में सबसे अधिक, यानि कि 2 लाख रुपया प्रतिमाह रखी गई। 19 दरख्वास्तें आईं। 19 जुलाई, 2016 को साक्षात्कार का ढकोसला भी हुआ। पर नतीजा वही निकला – 'खोदा पहाड़, निकली चुहिया'। आखिर में मुख्यमंत्री, श्री मनोहर लाल खट्टर के 3 मार्च, 2016 के आदेश के अनुरुप एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भर्ती हुई, श्री धर्मपाल चौहान की।

   अगर मुख्यमंत्री, श्री खट्टर ही इतना भारी पक्षपात कर लाखों रुपये की तनख्वाह पर अपने चहेतों की भर्ती करेंगे, तो हरियाणा के नौजवानों को न्याय कैसे मिलेगा?

2. **पुलिस भर्ती धांधलियां :–**

   हरियाणा पुलिस में 5000 सिपाहियों की भर्ती में धांधली व गड़बड़ी के आरोपों ने खट्टर सरकार, कर्मचारी चयन आयोग व पुलिस नेतृत्व की भूमिका को विवादों के

घेरे में खड़ा कर दिया है। सबसे पहले तो 3,88,091 कैंडिडेट्स को बगैर तैयारी के 15.06.2016 से 23.07.2016 तक कुरुक्षेत्र में दौड़ की परीक्षा के लिए बुलाया गया, यानि कि 9025 कैंडिडेट्स प्रतिदिन। यह अपने आप में अव्यवहारिक भी था तथा पूरी स्थिति नियंत्रण के बाहर रही।

भर्ती प्रक्रिया के दौरान मैंने खुद कुरुक्षेत्र का दौरा किया था और गड़बड़ी के तमाम उदाहरण उजागर किए थे। इसमें युवाओं के खानपान, शौचालय, रहने की व्यवस्था व भारी अफरातफरी के आलम के साथ साथ दौड़ में मिलने वाली रिकॉर्डिंग डिवाईस न चलने, सही समय न दर्ज करने, बायोमीट्रिक उपकरण के द्वारा अंगूठों का निशान न ले पाने की अनगिनत गड़बड़ियां थीं। प्रक्रिया के दौरान 20 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले हजारों युवाओं को अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि 24 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले युवाओं को योग्य घोषित किया गया।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाईट पर जारी पुलिस भर्ती परिणाम के अध्ययन से पुलिस भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है। वेबसाईट पर जारी परिणाम के बाद सुनील नाम के एक युवक के समय को लेकर कर्मचारी चयन आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी। लेकिन एक अन्य प्रत्याशी, विक्रमजीत, पुत्र मंजूर सिंह के परिणाम में दौड़ पूरा करने का यह समय 12 मिनट 11 सेकंड का है। इस बारे में आयोग ने 22 अगस्त को स्थिति स्पष्ट किए बिना तथ्यों को छिपाने की कोशिश की है। आंकड़ों की बात करें, तो विक्रमजीत का यह समय विश्वरिकॉर्ड से भी बेहतर है, जबकि फिज़िकल टेस्ट में उसे केवल 10 अंक दिए गए हैं। दूसरी ओर, भर्ती के दौरान 22 मिनट में दौड़ पूरी करने वालों को 12–13 अंक मिले हैं। परिणामों की ये गड़बड़ियां अनियमितताओं की कहानी चीख–चीख कर पेश कर रही हैं। घोषित परिणामों में 658 प्रत्याशी ऐसे हैं, जिन्होंने 10 से 13 मिनट में दौड़ पूरी की है। उनकी सूची A2 में संलग्न है। क्या यह कर्मचारी चयन आयोग का फर्ज नहीं बनता कि वह पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह स्पष्ट करे कि ये सभी प्रत्याशी किस श्रेणी के हैं। क्या ये सभी बंद हो चुकी एचएसआईएसएस के पूर्व कर्मचारी हैं या किसी और श्रेणी के हैं? क्या कर्मचारी चयन आयोग को श्रेणीवार परिणाम नहीं घोषित करना चाहिए?

उधर मुख्यमंत्री, श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 24 अगस्त, 2016 को बहादुरगढ़ में पहलवान, साक्षी मलिक के सम्मान समारोह में फिजिकल टेस्ट के दौरान कुछ नौजवानों द्वारा ओलम्पिक रिकॉर्ड भी तोड़ देने का दावा किया गया। मुख्यमंत्री के भाषण का वीडियो यूट्यूब के लिंक https://youtu.be/_4zv76SaDkA पर देखा जा सकता है। तो फिर क्या मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या फिर कर्मचारी चयन आयोग गलत बयानी कर रहा है?

यही नहीं, कुरुक्षेत्र में हुई हरियाणा पुलिस की भर्ती के दौरान नशों के व्यापार का आलम रहा। शारीरिक परीक्षण के दौरान जिन युवाओं की दर्दनाक मौत हुई और 397 युवा अलग–अलग सरकारी अस्पतालों में उपचाराधीन रहे। यही नहीं, प्रदेश के हजारों अन्य युवा भी निजी अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। इससे साबित होता है कि

हरियाणा प्रदेश में फिलहाल ड्रग माफिया सरकारी संरक्षण में फलफूल रहा है, तथा मुख्यमंत्री और उनके सभी मंत्री सत्ता के नशे में कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं।

3. **जेबीटी अध्यापक, कंप्यूटर अध्यापक, गेस्ट टीचर्स, बिजली कंपनियों के सहायक लाईनमैन/सब स्टेशन अटेंडेंट व मार्केटिंग बोर्ड के बोलीकर्ता (Auctioneers) दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर :–**

नियमित भर्ती द्वारा लगाए गए **9700 जेबीटी टीचर** महीनों से नियुक्ति पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। परंतु पुलिस की लाठियां और कोरे आश्वासनों के अलावा उन्हें कुछ हाथ नहीं लग पाया।

डिजिटल इंडिया का ढोंग रचने वाली सरकार ने **2600 कंप्यूटर अध्यापकों** की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। एक तरफ माननीय हाईकोर्ट द्वारा कंप्यूटर टीचरों की भर्ती पर रोक लगा रखी है, तो दूसरी तरफ 2600 कंप्यूटर टीचर सड़कों पर हैं। नतीजा यह है कि हरियाणा के बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा से वंचित हैं।

खट्टर सरकार द्वारा **3581 गेस्ट टीजीटी अध्यापकों** की सेवाएं बर्खास्त कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें मजबूरन वापिस लेना पड़ा है। बाकी के **12000 गेस्ट अध्यापकों** पर आज भी नौकरी जाने की तलवार ज्यों की त्यों लटकी है।

हड़ताल की आड़ में कई हजार तदर्थ आधार पर काम कर रहे बिजली कंपनियों के **सहायक लाईनमैन व सब–स्टेशन अटेंडेंट्स** को नौकरी से निकाल दिया गया है। हरियाणा की मंडियों में किसान और आड़ती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोटी कमाने वाले लगभग **1700 बोलीकर्ताओं (Auctioneers)** को भी एक तुगलकी फरमान जारी कर खत्म कर दिया गया है। इसकी प्रकार डेली वेज़ व तदर्थ आधार पर भिन्न–भिन्न विभागों जैसे एनआरएचएम, पब्लिक हेल्थ, इरीगेशन आदि में काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है।

4. **सरकारी वकीलों की भी ठेके पर भर्ती :–**

पब्लिक प्रॉसीक्यूटर्स यानि सरकारी वकील पूरी न्याय प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। दुर्भाग्य का आलम तो यह है कि अब हरियाणा में सरकारी वकीलों को भी ठेके पर रखा जाएगा।

5. **न निजी निवेश और न ही प्रायवेट नौकरियां :–**

एक षडयंत्र के तहत हरियाणा प्रांत में करवाए गए जातिगत विभाजन के बाद अब न तो निजी निवेश आ रहा और न ही प्रायवेट सेक्टर में नई नौकरियां। नया उद्योग आना तो दूर, पहले से मौजूद औद्योगिक इकाइयां भी पलायन करने को मजबूर हैं। इन हालात में हरियाणा के युवाओं में चारों तरफ भारी बेचैनी और निराशा है। प्रदेश के युवाओं को कहीं से भी आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही।

दूध–दही के खाने वाले हरियाणा में रोटी व रोजगार की इस दुदर्शा व युवाओं में फैली भारी निराशा से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी खट्टर सरकार से निम्नलिखित मांगें करती है :–

1. खट्टर सरकार, सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगारसृजन की वस्तुस्थिति पर श्वेतपत्र जारी करे व खाली पदों को भरने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक करे।
2. एडिशनल मैनजिंग डायरेक्टर, HARTRON व पुलिस भर्ती में धांधली, गड़बड़ी व भाई भतीजावाद की जांच, सीबीआई से करवाई जाए।
3. जब तक प्रदेश के युवाओं को रोजगार न मिले, तब तक भाजपा के घोषणा–पत्र (जिसकी प्रतिलिपि A3 संलग्न है) के मुताबिक उन्हें नौ हजार रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।
4. 9700 जेबीटी टीचरों व 2600 कंप्यूटर टीचरों को फौरन नियुक्ति पत्र दिया जाए। जबरन निकाले गए सभी बिजली कंपनियों अन्य विभागों के कर्मियों को वापस लिया जाए।
5. सरकार नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त गिरोहों की संख्या और उनके खिलाफ की गई कार्यवाही की जानकारी सार्वजनिक कर प्रदेश की जनता को अवगत कराए। श्रेष्ठ और ईमानदार पुलिस अधिकारियों पर आधारित स्पेशल टॉस्क फोर्स का गठन किया जाए। इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी बतौर गृहमंत्री, मुख्यमंत्री खुद लें।